दैनिक भास्कर

पानीपत भास्कर 17-07-2021

'सेवाओं को राइट टू सर्विस रूल के अनुसार पूरा करें'

सभी विभागाध्यक्षों को डीसी सारवान ने दिए निर्देश

- **अब उपभोक्ता को उसके मोबाइल पर ही कार्य के बारे में सूचना दी जाती है**

भास्कर न्यूज़ | पानीपत

डीसी सुशील सारवान ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि सभी विभाग अपनी सेवाओं को राइट टू सर्विस रूल के अनुसार पूरा करें। जिस कार्य के लिए जो समय सरकार ने राइट टू सर्विस एक्ट में सुनिश्चित किया है, उससे अधिक वक्त किसी कार्य को पूरा करने में नहीं लगना चाहिए। निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण करते हुए आवेदकों को राहत पहुंचाई जाए। अंत्योदय सरल केंद्र के माध्यम से विभिन्न विभागों की पांच सौ से अधिक सेवाएं ऑनलाइन चलाई जा रही हैं। ऐसे में पूरी पारदर्शिता के साथ तय सीमा में कार्य करें। ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाने, वाहनों की आरसी, परमिट, लाइसेंस नवीनीकरण, रिहायशी प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड बनाने आदि अनेक सरकारी सेवाएं सरकार द्वारा ऑनलाइन आवेदन पर पूरी की जा रही हैं। अब उपभोक्ता को उसके मोबाइल फोन पर ही कार्य के बारे में सूचना दे दी जाती है।

डीसी ने कहा कि राइट टू सर्विस एक्ट के अनुरूप परिवहन विभाग, जिला समाज कल्याण विभाग, बिजली वितरण निगम, महिला एवं बाल विकास विभाग, अनुसूचित एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, कृषि विभाग, पुलिस और शहरी निकाय कार्यालय भी जनसेवा कार्यों में अपनी सक्रिय भागीदारी निरंतर निभा रहे हैं। वहीं, खाद्य एवं पूर्ति, रोजगार विभाग, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, मत्स्य पालन, वन विभाग और जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से भी राइट टू सर्विस एक्ट से योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राइट टू सर्विस की पालना करते हुए जिला प्रशासन का हर एक सरकारी विभाग तय समय सीमा में ही आए हुए आवेदनों का निपटारा करें।

Scanned with